राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बांसवाडा (राज.)

(सदर थाने के पास, जानामेडी बांसवाडा 327001)

क्रमांकः–एफ( )मविका/साथिन चयन/2021/ 1047 दिनांक– 09/09/21

विज्ञप्ति संख्या : 2021/02

जिले की निम्नलिखित परियोजनाओ के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतो में साथिन के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित आमत्रित किये जाते है।

क्रम. संख्या	कार्यालय का नाम एवं ई–मेल आई. डी तथा मो.न.	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायतो के नाम (प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक पद)
1	कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, बांसवाडा banswara.we@rajasthan.gov.in मो. न.–9001959211	छोटी सरवन	डेरी, कालाखेत, कटुम्बी
2		बागीदौरा	बारी, वडलीपाडा, लालावाड़ा, खोखरवा, हमीरपुरा बड़ा, जलदा, सेवना, पिण्डारमा
3		गांगडतलाई	चरखनी, शेरगढ, हडमत, अमरियापाडा, खुटीबिजिया, डागल, गणेशपुरा, झेरमोटी, सेंटमोटी
4		कुशलगढ़	दरोबाडिया, टिमेडा छोटा, आमलीपाडा, बिशनावट, चुडादा, देवदासाथ, भीमपुरा, टांडावडला, बावड़ी निनामा, वरसाला, सरोना, भवरदा, बाकानेर, झिकली
5		आनन्दपुरी	कडदा, मडकोला मोगजी, ढोढिया, ढनकु, सेरानगला, भवानपुरा, बोरवानिया, पारिया, टामटिया
6		घाटोल	नागवाला, दौलतसिंह का गढा, रघुनाथसिंह का गढा, देलवाडा रावणा, बिजोर, नरोतो की गोज, सोमपुर, डिडोरिया, दूकवाडा, ईसरवाला, कानपुरा, उदाजी का गढा, चंदुजी का गढा, भुवासा, इसरवाला
7		गढ़ी	पाराहेडा, सालिया, नवागाव, वखतपुरा, सेमलिया, अगरपुरा, रोहनिया खेडा, सामागढ़ा
8		अरथूना	गोसाई का पारडा, धानेवा, गामडी नारायण, पांचवडा
9		बांसवाड़ा	प्रतापनगर, खोडीपिपली, गढा, रामगढ़, पलासवानी, डाबरीमाल.
10		तलवाडा	अरनिया, सागेता, भीलवन, फाटीखान केवडिया, भटवाडा, रघावा, टामटिया. झांतला
11		सज्जनगढ	सागवा, पाली छोटी, बना गला, गोड़ा, कुण्डा, सादडिया

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, बांसवाडा (राज.)

(सदर थाने के पास, जानामेडी बांसवाडा 327001)

1–आवेदन फॉर्म ऑन–लाईन विभागीय वेब साइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित दिनांक 18.09.2021 तक स्वीकार्य होगे।

2–ऑन–लाईन भरे गये गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी मय सलग्न दस्तावेजों के संबंधित सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता में कार्यालय में व्यक्तिशः / रजि. डाक मय द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय में निर्धारित दिनांक 20.09.2021 सायं 5 बजे तक जमा कराये जा सकें।

3–विज्ञप्ति के संबंध में परियोजनावार ग्राम पंचायतवार रिक्त पदों तथा पात्रता आदि संबंधित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।

4– जिस ग्राम पंचायत के लिए चयन हो रहा है, महिला उसी ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
बांसवाडा

क्रमांकः–एफ( )मविका / साथिन चयन / 2021 / 1048 दिनांकः– 09/09/21

प्रतिलिपिः–

1–श्रीमान् आयुक्त महोदय, महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर।

2–श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद्, बांसवाडा।

3– श्रीमान् उपनिदेशक महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, बांसवाडा।

4–विकास अधिकारी पंचायत समिति .... दिनांक 02.10.2021 को आयोजित ग्राम सभा मे नियमानुसार साथिन चयन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच / सचिव को निर्देशित करने का श्रम करावें।

5–बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि प्राप्त आवदेन पत्रों एवं वरियता सूची के साथ ग्रामसभा में उपस्थित होकर नियमानुसार साथिन चयन हेतु विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप मे संबधित महिला पर्यवेक्षक / प्रचेता / अन्य कार्मिक को नियुक्त करना सुनिश्चित करें।

6–सम्पादक, दैनिक भास्कर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का बांसवाडा संस्करण के स्थानीय पेज पर डीपीआर दर पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशन करवाकर बिल इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

7–प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

8 नोटिस बोर्ड कलेक्ट्रेट / जिला परिषद् / उप निदेशक / कार्यालय हाजा।

9–रक्षित पत्रावली।

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता,
बांसवाडा

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

(A) चयन हेतु वांछित पात्रताः–

(i) **स्थानीय निवासी होना**– ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस ग्राम पंचायत/ग्राम आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनबाडी केन्द्र के लिए चयन हो रहा है, उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। (मूल निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजो की छाया प्रति का उल्लेख आवेदन पत्र में भी किया जाये) **विधवा महिला व तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।** यदि किसी स्थान पर उस ग्राम या वार्ड के लिए कोई उपयुक्त आवेदक नहीं मिल रहा है, तो उसका प्रकरण उप निदेशक/सहायक निदेशक को भेजकर उसमें शिथिलन हेतु अनुमत किया जायेगा, जिसमें उसे उस ग्राम की बजाय उस ग्राम पंचायत अथवा उस वार्ड से संलग्न अन्य वार्ड की सीमा तक अनुमत किया जा सकेगा।

(ii) आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में की जाना अनिवार्य है।

(iii) शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए उसी वार्ड की महिला द्वारा आवेदन नहीं किये जाने की दशा में आंगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम वार्ड की महिला के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है।

(iv) **वैवाहिक स्थिति**– आंगनबाड़ीकर्मी के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक है। साथिन के पद पर आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नही है।

(v) **शैक्षणिक योग्यता**– आंगनबाडी कार्यकर्ता, मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हेतु न्यूनतम **बारहवीं उत्तीर्ण** होना तथा साथिन व सहायिका हेतु **न्यूनतम दसवीं** उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(vi) **आयु**– आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन (गति आधारित– प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण) के प्रकरण में अधिकतम् आयु 45 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होनी की तिथि को)

- विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
- परित्यक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी इत्यादि) से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।

(vii) **चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड**– विभिन्न पदों की व्यावहारिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आवेदकों के चयन हेतु उनके मूल्यांकन का एक मानदण्ड निर्धारित होगा, जिसमें अलग–अलग बिन्दुओं के अलग–अलग अंकभार निर्धारित होंगे, जो निम्नानुसार होगा–

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

परिशिष्ट 'ब'

साथिन चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र

जिले का नामः– .... पंचायत समिति का नामः– ....

ग्राम पंचायत का नामः– ....

क्र. सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	अंक भार	पूर्णांक	प्राप्तांक
1	शैक्षणिक योग्यता	स्नातक से अधिक	5	5	
		स्नातक	4		
		12वीं पास या समकक्ष योग्यता	3		
		10वीं पास या समकक्ष योग्यता	2		
		8 वीं पास की अंकतालिका/प्रमाण पत्र	1		
2	श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	3	3	
		पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक	2		
		आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग (EWS)	2		
		सामान्य	1		
		गति आधारित दिव्यांगजन (गति आधारित– प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्पोषण).	2	2	
3	विशेष योग्यता	उच्चतम कम्प्यूटर कार्स (PGDCA/ 'O' Level/ Tally etc.) का प्रशिक्षण प्राप्त	2	2	
		RSCIT या बेसिक (आधारभूत) कम्प्यूटर कार्स का प्रशिक्षण प्राप्त	1		
4	कार्यानुभव	सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन के रूप में 1 वर्ष का कार्यानुभव	2	2	
5	ज्योति योजना	ज्योति योजना के लाभार्थी (अस्पताल द्वारा जारी नसबन्दी प्रमाण पत्र के आधार पर)	1	1	
6	NFSA / अन्त्योदय/ बीपीएल/भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र	NFSA में सम्मिलित/अन्त्योदय बीपीएल कार्ड (केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित), भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र	2	2	
7	विधवा/परित्यक्ता/ तलाकशुदा	विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	3	3	
		कुल		20	....

(viii) **समान अंक आने की स्थिति :–**

- **दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी–**

1. विधवा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की विधवा हुई हो।
2. तलाकशुदा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की तलाकशुदा हुई हो।
3. अधिकतम आयु वाली महिला

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

उक्त में भी दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में निम्न वरीयता प्रदान की जाये–

वरीयता	विषय
प्रथम	10वीं कक्षा में प्राप्तांक / 12 वीं कक्षा में प्राप्तांक / विज्ञान में जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग से स्नातक में प्राप्तांक / स्नातकोत्तर में प्राप्तांक
द्वितीय	कम्प्यूटर में उच्चतम योग्यता
तृतीय	NTT/DPSE Course, Approved by NCTE and conducted with approval/consent of State Government of Rajasthan Or B.Ed/BSTC Approved by NCTE and conducted with approval/consent of State Government of Rajasthan.

(ix) श्रेणीवार आरक्षण –

- जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति / जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया आँगनबाड़ी सर्वे रजिस्टर के आधार पर एवं साथिन के लिए उप / सहायक निदेशक कार्यालय की सूचना के आधार पर ही की जानी चाहिए।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रीमी–लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी–लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी–लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है।) अर्थात आवेदक महिला का पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी–लेयर का प्रमाण पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जाएंगे व इस सम्बंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

(B) चयन प्राथमिकता–

- चयन की प्राथमिकता **परिशिष्ट 'ब'** पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्डों व उनके अंक भार के अनुसार देय होगी।

(C) शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता–

(अ) शहरी क्षेत्र–

शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी।

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

(ब) ग्रामीण क्षेत्र–

- महिलाओं में शैक्षणिक पिछड़ेपन की स्थिति वाले जिले (1) बाड़मेर (2)जैसलमेर (3) जालौर (4) प्रतापगढ़ (5) सिरोही (6) टोंक (7) उदयपुर (8) बांरा जिले के सहरिया बाहुल्य किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में स्थित ग्रामीण परियोजनाओं में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला नहीं मिलने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुए आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हेतु 10वीं पास एवं साथिन व सहायिका हेतु 8वीं पास महिला का चयन किया जा सकता है। उक्त चयन के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कोई महिला चयन हेतु उपलब्ध नहीं है।

2. आवेदन की अंतिम तिथि :–

- आवेदन फॉर्म ऑन–लाईन विभागीय वेब साइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित दिनांक–18.9.21 तक स्वीकार्य होंगे।
- ऑन–लाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी मय संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक मअ /बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजि. डाक द्वारा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में निर्धारित दिनांक 20.09.21...सायः 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे।
- संबंधित उप/सहायक निदेशक मअ/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के फोन नम्बर व ई–मेल आई.डी. :– banswara.wc@rajasthan.gov.in

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता
महिला एवं बाल विकास विभाग
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner